संख्या-62/2024/।/698983/2024/001-71-2013/28/2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-CBMR/F&A/2024-25/BUDGET/57, दिनांक 17.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में उपकरणों की सूची (संलग्न विवरण के अनुसार) को अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद- 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-07-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैंः-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत वित्तीय नियमों व क्रय नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ संबंधित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी निदेशक, सेन्टर की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, सेन्टर को होगा।
3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस- 2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमोनित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरण के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
13. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050700 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक-</u>यथोक्त।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-62/2024/।/698983/2024/001-71-2013/28/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanade-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-62/2024/I/698983/2024/001-71-2013/28/2020, दिनांक-24 जुलाई, 2024 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रय किये जाने वाले प्रयोगशाला उपकरणों/संयंत्रों की सूची					
No	**Equipment**	**Quantity**	**Total Amount (₹ in Lakhs)**		**Remarks**
1	Upgradation of fMRI	1		1355.00	Machine is more than 10 years old and now it is difficult to obtain spares and service support
2	LC-HRMS	1		334.42	Old Machine is more than 10 years old and it is difficult to obtain spares and service support
3	Lab Furniture			100.00	Due to joining of new faculty and set-up of new labs, Laboratory Furniture is required
4	Auditorium Furniture			25.00	Work of extension of Auditorium and Interior work has been started. For such purpose, furniture is required
5	Centrifuge refrigerated	1	8.26	9.91	Different equipments for use in the newly setpup Laboratories and offices are required due to joining of new faculty members and replacement of old equipments with new.
	Price of additional 4 year warranty		1.65		
6	Electrophoresis unit with powerpack	1		3.72	
7	PCR Thermo cycler	1	6.00	7.20	
	Price of additional 4 year warranty		1.20		
8	Hot plate with magnetic stirrer	7		4.90	
9	Thermo Mixer	1		4.01	
10	DNA electrophoresis Unit with powerpack	1		1.60	
11	Nanodrop	1	8.00	9.60	
	Price of additional 4 year warranty		1.60		
12	Refrigerator -20º C	1		1.50	
13	Table top mini cetnrifuge	2		0.88	
14	Vortex	2		0.60	
15	Current-Voltage source Meter Unit	1	18.00	21.60	
	Price of additional 4 year warranty		3.60		
16	Hot block (Dry bath)	1		0.60	
17	Refrigerator 4 deg	7		4.56	
18	pH meter	1		1.50	
19	Computers	5		5.00	
20	Laptop	1		1.00	
21	Diaphram pump and circulating chiller for rotary evaporator	2		8.00	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	Rotary Evaporator with Vaccum control	2		10.00	
23	Low Temperature Bath	1	8.00	9.20	
	Price of additional 4 year warranty		1.20		
24	EPABX	1		3.00	
25	Projector with screen	1		1.00	
26	Singnals Chemdraw software annual subscription	1		7.00	
27	Cordless table mike with speaker for video conferencing	1		1.50	
28	UPS backup with battery	1		1.70	
29	GST and Transport of NMR	1		66.00	Required as mentioned in the office order no. DST/Supreme/2023/70 dated 02.02.2024 of Deparment of Science & Technology, Govt. of India.
	Total Amount (₹ in Lakhs)			**2000.00**	

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।